Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

ईश्वरराम आदि –बनाम– स्टेट आदि

किस्म मुकदमा :– 75 एलआरए न0 8/18 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
29/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 कैंप कतरियासर पर प्रस्तुत हुई। अपीलांटस सर्व श्री ईश्वरराम, शेराराम, भूराराम, तोलूराम, जड़ाव, गुमानी, मीरा व रामकौरी उपस्थित। उतर वादिया जेठी, हीरा व सीमा पिसरान भगवानाराम उपस्थित। स्टेट की ओर से तहसीलदार, बीकानेर उपस्थित। 2– संक्षेप में प्रकरण से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कतरियासर तहसील बीकानेर स्थित कृषि भूमि साबिका खसरा नबर 24/5 तादादी 20.00 बीघा, 914/1 तादादी 25 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 100/1 तादादी 30 बीघा 17 बिस्वा के खातेदार फूसाराम पुत्र राजूराम जाति जाट साकिन देह थे। उक्त फूसाराम खातदेार की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसकी फौतगी का विरासतन इन्तकाल संख्या 209 मृतक की पत्नि मु0 बाली व चार पुत्रगण क्रमशः ईश्वरराम, शेराराम, भूराराम, तालूराम व पुत्रियान क्रमशः जड़ाव, गुमानी, मीरा व समकौरी के नाम तहसीलदार, बीकानेर ने दिनांकः 15.5.1981 को स्वीकृत कर दिया। अपीलांटस के कथनानुसार अपीलांट संख्या 4 तोलूराम का नाम गलत रूप से चौलाराम अंकित कर दिया गया। जिससे अधीनस्थ न्यायालय आदेश विधि विरूद्ध हो जाता है तथा निरस्तरीय भी है। अपीलांटस ने अपील मंजूर करने एवं अपीलांट संख्या 4 तोलूराम के नाम की बजाय चोलाराम अंकित प्रविष्टि को दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने यह अपील मुख्य रूप से अपीलार्थी संख्या 4 तोलूराम	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

का नाम इन्तकाल में चैलाराम गलत रूप से लिख दिये जाने के दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत की है। अपील ज्ञापन के साथ ग्राम पंचायत कतरियासर द्वारा जारी जाली देवी पत्नि फूसाराम जाति जाट के वारिस प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति व भार सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में हम पत्रावली तहसीलदार, बीकानेर को प्रति प्रेषित कर यह आदेश देना उचित समझते हैं कि अपीलांट संख्या 4 का नाम तोलाराम के स्थान पर चौलाराम लिख दिया गया कि जांच करते हुवे पुनः इन्तकाल की कार्यवाही की जावे।

परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा आदेशित इन्तकाल चौलाराम नाम अंकित करने की हद तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली प्रति प्रेषित कर तहसीलदार, बीकानेर को निर्देश दिये जाते हैं कि उपर दिये गये सम्प्रेषणों को ध्यान में रखते हुवे इस बाबत् जांच की जावे। इस बाबत् अपीलार्थीगण को सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुवे बाद जांच इन्तकाल के संबंध में पुनः विधि सम्मत निर्णय लिया जावे। तहसीलदार, बीकानेर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इन्तकाल की कार्यवाही यथा संभव 1 माह में पूरी करने का प्रयास किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 29-8-18 को सुनाया गया।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उप खण्ड अधिकारी (खण्ड) बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner